

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(7)नविवि / भीनमाल / 2022

जयपुर दिनांक: ३०।०३।२०२२

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने भीनमाल के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष-2041 तक के लिए तैयार करने करने हेतु अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (पूर्व) राजस्थान, जयपुर को एतद्वारा नियुक्त करती है:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील
1.	भीनमाल	BHINMAL	भीनमाल
2.	लेदरमेर	LEDARMER	भीनमाल
3.	नासोली	NASOLI	भीनमाल
4.	नरता	NARTA	भीनमाल
5.	कुशलापुरा	KUSHLAPURA	भीनमाल
6.	जुजांणी	JUNJANI	भीनमाल
7.	भागलभीम	BHAGALBHEEM	भीनमाल
8.	निम्बावास	NIMBAWAS	भीनमाल
9.	निम्बोड़ा	NIMBODA	भीनमाल
10.	कावतरा	KAWATARA	बागोड़ा
11.	मीरपुरा	MEERPURA	बागोड़ा
12.	भादरडा	BHADARDA	जसवंतपुरा
13.	खाण्डा देवल	KHANDA DEWAL	जसवंतपुरा
14.	सावीधर	SAWIDHAR	जसवंतपुरा
15.	गजीपुरा	GAJIPURA	जसवंतपुरा
16.	कोडीटा	KODITA	जसवंतपुरा
17.	मणधर	MANADHAR	जसवंतपुरा
18.	पावली	PAWALI	जसवंतपुरा
19.	देलवाड़ा	DELWARA	जसवंतपुरा
20.	खानपुर	KHANPUR	जसवंतपुरा
21.	रोपसी	ROPASI	रानीवाड़ा
22.	धनवाड़ा	DHANWADA	रानीवाड़ा
23.	आलडी	ALRI	रानीवाड़ा

राज्यपाल की आज्ञा से



30/3/2022

(रानीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, जालोर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, भीनमाल (जिला—जालोर)।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रालवी।

11

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय